न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट),सोनभद्र

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–67 सन् 2021 (मु0अ0सं0–21/2020)

राज्य बनाम आदित्य मौर्य

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

03.05.2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज कागज संख्या–11ख अन्तर्गत धारा–216(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व तिथि पर उक्त प्रार्थना पत्र पर धर्मदेव के विद्वान अधिवक्ता सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–11ख

उक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या–11ख अन्तर्गत धारा–216(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, वादी मुकदमा धर्मदेव की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुदकमा उपरोक्त में प्रार्थी, प्रार्थी की पत्नी सुनीता देवी व प्रार्थी की पुत्री/पीडिता का बयान न्यायालय में अंकित हो चुका है। दौरान बयान पीडिता द्वारा अपने बयान में अभियुक्त आदित्य मौर्या व आदित्य मौर्या के बुआ के लडके अनुराग द्वारा पीडिता को 3 महीने बन्द कमरे रखकर उसके साथ जबरन बलत्कार करने की बात बतायी है। इतना ही नहीं पीडिता ने जिरह में भी आदित्य वगैरह द्वारा जबरदस्ती बलत्कार की बात को बतायी है तथा पी०डब्लू 1 प्रार्थी व पी०डब्लू 2 सुनीता देवी द्वारा अपने बयान में पीडिता के साथ जबरदस्ती बलत्कार करने की बात कही है तथा सभी साक्षीगण द्वारा घटना के समय पीडिता जन्म तिथि 02.02.2007 अपने बयान में अंकन कराया है तथा घटना दिनांक 07.03.2020 की है जिससे पीडिता की उम्र घ ाटना के समय 13 वर्ष रही है तथा वह घटना के समय नाबालिग रही है और वह आज भी नाबालिग है। उक्त मुकदमा में दौरान साक्ष्य अं० धारा 376, 342 भा० दं० संहिता व 3/4 पोस्को एक्ट प्रकाश में आया है। ऐसी स्थिति में पीडिता के नाबालिग होने के आधार पर तथा उसके साथ जबरदस्ती बलत्कार किए जाने के कारण अभियुक्त उपरोक्त पर बने आरोप में अं० धारा 376कघ, 342 भा०दं० संहिता व 3/4 पोस्को का बढोत्तरी करते हुए आरोप में परिवर्तन/परिवर्धन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त आधार पर मुकदमा उपरोक्त में साक्षीगण पी० डब्लू 1, पी०डब्लू 2 व पी०डब्लू 3 पीडिता द्वारा दिए गये बयान व जिरह के आधार अभियुक्त आदित्य मौर्य पर बने आरोप में अं० धारा 376कघ, 342 भा० दं० संहिता व 3/4 पोस्को का बढोत्तरी करते हुए आरोप में परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त आदित्य मौर्य की ओर उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कागज संख्या–12ख/ 1 लगायत 12ख/ 4 प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि धर्मदेव वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत, बेबुनियाद खिलाफ कानून एवं खिलाफ असलियत के प्रस्तुत किया गया है। दौरान बयान पीड़िता द्वारा आपत्तिकर्ता के विरूद्ध तीन महीने बन्द कमरे में रखकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने की बात कत्तई साबित नही है तथा जहाँ तक पी०डब्लू 1, व पी०डब्लू 2 के बयान/ जिरह में पीडिता के साथ जबरजस्ती बलात्कार करने की बात से इंकार किया गया है इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र वादी धर्मदेव दिनांकित 20.09.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। वादी मुकदमा का अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि सभी गवाहान ने पीड़िता की जन्मतिथि 02.07.2007 अपने बयान में अंकन कराया है बिल्कुल असत्य है।

उपरोक्त तीनों बयानात से कोई नई बात अथवा नई अपराध साबित नहीं है। पी०डब्लू 1 राजदेव (धर्मदेव) द्वारा अपने जिरह के पेज 2 में कहा है कि शालीनी के जन्म की तारिख माह व सन इस समय ध्यान नही है स्कूल में एडमिशन करवाते समय भी मैंने शालीनी की आयु अन्दाज से बतायी थी। पेज तीन में शालीनी की जन्मतिथि आधार कार्ड में 02.02.2004 बताया है इस आधार पर जन्मतिथि सत्य नही है। वादी पी०डब्लू०1 ने अपने जिरह के पेज 4 में यह बताया है कि मैंने शालीनी और आदित्य को एक साथ अपनी आंखो से नहीं देखा था तथा इस केस के बारे में मुझे जो भी जानकारी है वह शालीनी के बताने के आधार पर है। मेरी बेटी ने जो बयान दरोगा जी को दिया है वह गलत है शालीनी ने जो मजिस्ट्रेट के समझ बयान दिया है वह भी गलत है। आगे पी०डब्लू० 1 ने भी बतया है कि दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। पेज 5 में कहा गया है कि बेटी के मिलने के बाद अगर मेरा बयान दर्ज करना विवेचक ने दिखाया है तो वो गलत है ऐसा कोई बयान मैनें नहीं दिया है। पेज 6 में वादी अपनी पुत्री शालीनी की पढाई के बाबत् बताया है कि मेरी बेटी शिक्षण संस्था सोनबरसा में कक्षा एक व दो तब पढ़ी है तो फिर घटना के दिन स्कूल जाने की बात अपने आप झूठी हो जाती है इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र वादी निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने पेज 8 में बताया है कि अगर मेरी बेटी ने यह बताया हो कि उसकी जन्म तिथि 01.01.2002 है तो यह गलत है मेरी बेटी ने मेरी और मेरे घर वालों के बारे में जो भी अपने बयान अ० धारा–161 सी०आर०पी०सी० में कहा है वो गलत है मैं इसका कोई कारण नही बता सकता कि मेरी बेटी ने इस तरह का बयान क्यों दिया। पेज 9 में पी०डब्लू० 1 ने बताया है कि पुलिस के सामने जो मेरी बेटी ने बयान दिया था उससे नाराज होकर मैनें पुलिस के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था। अन्त में पी०डब्लू० 1 ने स्वीकार किया है कि यह सच है कि हमारे और अभियुक्त के परिवार वालों के बीच में पुरानी मनमुटाव व रंजिश चली आ रही है जिसके कारण झूठा मुकदमा महज हैरान व परेशान करने हेतु दाखिल किया गया है। पी०डब्लू० 2 पीड़िता की माता सुनीता देवी ने पेज 2 में यह बात बताई है कि शालीनी की जन्मतिथि आधार कार्ड में जो है वह सही है इस प्रकार आधार कार्ड में जन्म तिथि 01.01. 2004 है जबकि शालीनी ने अपने बयान में जन्मतिथि 01.01.2002 बतायी है जिसके आधार पर वह बालिग है और पी०डब्लू० 2 ने जिरह के पेज 3 में ऊपर से दो लाईन नीचे यह बात बताई है कि इस घटना के बारे में मेरी पुत्री शालीनी ने जो कुछ घटना के बारे में बताया उसी के बताने पर मुझे जानकारी है कोई भी घटना मेरी आँखों के सामने नहीं हुआ है मेरी बेटी जिला जौनपुर गयी थी। दरोगा जी ने मेरा कभी बयान नही लिया था। पी०डब्लू० 2 ने अपने जिरह के पेज 4 में बताया है कि आधार कार्ड में शालीनी की जन्मतिथि सही लिखायी गयी है हालांकि उसमें जन्मतिथि 01.01.2004 है और बयान में दो फरवरी 2007 बतायी है जबकि शालीनी ने अपने बयान/ जिरह में दिनांक 01.01.2002 बताया है इस आधार पर जन्मतिथि भिन्न–भिन्न है। पी०डब्लू० 3 ने भी जो अपने बयान/जिरह में उल्लिखित कथन किया है वह पी०डब्लू०–01, पी०डब्लू० 2 के बयानात से काफी भिन्नता है। पी०डब्लू० 3 पीड़िता शालीनी मौर्या ने अपने जिरह के पेज 4 में यह बताया है कि जहाँ घटना घटी स्कूल के गेट का जगह का नाम नही मालूम है नीचे बताया गया कि मजिस्ट्रेट के सामने मैनें उन तीन महीने के दौरान आदित्य द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाने के बारे में मैने बयान दिया था नही मुझ मालूम नही है। पेज 5 पर बीच में पी०डब्लू० 3 ने बताया है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था वह सही बयान दिया था,

थाने पर पापा ने जो दरखास दिया था मेरे पापा ने मेरे बताने पर दिया था या नही मुझे नहीं पता। पी०डब्लू० 3 ने पेज 6 के जिरह में नीचे बताया है कि मैनें व आदित्य ने कोर्ट मैरिज नहीं किया था आदित्य ने मुझे किसी हथियार से डराया धमकाया नही था क्योंकि मैनें कोई हथियार देखा नही था तथा पेज 7 में बताया कि जब घर पर आयी थी तो मैं बीमार हुई थी या नहीं, बहुत दिन हो गये मुझे नहीं मालूम। मेरे शरीर पर कोई चोट नही दिख रहा था। मेरी जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी से कोई बात नही हुई थी। मेरी उम्र के बारे में निर्धारण के संबंध में महिला चिकित्सालय में कोई जांच नही हुई थी। जबकि खुद मेडिकल चिकित्साधिकारी से कोई परीक्षण नही कराया गया है। उक्त आधार पर वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में विवचेना के उपरान्त पीड़िता को नाबालिग मानते हुए सम्बन्धित विवेचक द्वारा धारा–363, 366, 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है और न्यायालय द्वारा भी पीड़िता को नाबालिग मानते हुए उक्त धाराओं में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर आरोप विरचित किया है।

प्रस्तुत मामले में पी.डब्लू.–01 वादी मुकदमा, पी.डब्लू.–02 पीड़िता की मॉ एवं पी.डब्लू.–03 पीड़िता के बयान पूर्ण होने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा की ओर से धारा–216(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, पीड़िता व अन्य साक्षीगण के बयान के आधार पर अभियुक्त आदित्य मौर्य के विरूद्ध धारा–376कघ, 342 भा.दं.सं. व धारा–3/ 4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप में परिवर्तन/ परिवर्धन का दिया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पीड़िता के द्वारा अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में स्पष्ट रूप से अभियुक्त आदित्य मौर्य के द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने का कथन करते हुए कोई बयान नहीं दिया है। पी.डब्लू.–03 पीड़िता के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान देना स्वीकारा है जिसमें पीड़िता ने बताया है कि ''इस बीच में अभियुक्त ने मेरे साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाया।'' पुनः धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में बताया है कि ''अभियुक्त ने मेरे साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया।''

इसके उपरान्त पीड़िता ने न्यायालय में आकर बताया है कि ''वहॉ उसने मेरी इच्छा के विरूद्ध मेरे साथ बलात्कार किया था।'' इस प्रकार पीड़िता के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सर्वप्रथम अभियुक्त के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने सम्बन्धी बयान दिया है। यह अविश्वसनीय है कि पीड़िता के द्वारा न्यायालय के समक्ष बयान देने से पूर्व इतना महत्वपूर्ण तथ्य विवेचक व मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं बता पायी है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने अपने धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में पीड़िता ने विशिष्ट रूप से अभियुक्त के द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने से इंकार किया है। अतः **तहसीलदार बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1959 सप्लीमेंट्री (2) एस.सी.आर. 875** में दी गयी विधिव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता का न्यायालय में जो बढ़ा चढ़ाकर बयान दिया गया है वह तात्विक विरोधाभाष की श्रेणी में आयेगा और इस बयान पर विश्वास करके अभियुक्त आदित्य के विरूद्ध धारा–376कघ भा.दं.सं. व धारा–3/ 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेकर आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है।

जहॉ तक धारा–342 भा.दं.सं. के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पीड़िता ने अपने धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में विशिष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त ने उसको एक कमरे में बंद करके रखा था और न्यायालय में पीड़िता ने यह बयान दिया है कि ''जब मैं होश में आयी तो जौनपुर में एक कमरे में बंद थी। उस रूम में अभियुक्त भी मौजूद था। अभियुक्त ने वहॉ पर मुझे 03 माह तक रूम में रखा था।'' इस प्रकार पीड़िता के न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान व उसके धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से, अभियुक्त के विरूद्ध धारा–342 भा.दं.सं. के अपराध के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिये जाने का पर्यात आधार पत्रावली पर उपलब्ध है।

–आदेश–

उक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या–11ख अन्तर्गत धारा–216(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार निस्तारित किया जाता है कि धारा–376कघ भा.दं.सं. व धारा–3/ 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त आदित्य मौर्य को आहूत कर उसके विरूद्ध आरोप विरचित करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अभियुक्त आदित्य मौर्य के द्वारा धारा–342 भा.दं.सं. का अपराध कारित करने का पर्याप्त आधार व साम्रगी पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियुक्त आदित्य मौर्य के विरूद्ध धारा–342 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है।

तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या–11ख अन्तर्गत धारा–216(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्तारित किया जाता है।

न्यायालय, अभियुक्त आदित्य मौर्य को धारा–342 भा.दं.सं. के अन्तर्गत जमानत की याचना का एक अवसर प्रदान करता है।

पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.05.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट,
सोनभद्र